

1095
14.12
1/11/12/प्र.नं.
प्रेषक,

संख्या:- 5384 / 111(2) / 10-02(एम0एल0ए0) / 2010

संज्ञा

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 13 दिसम्बर 2010

विषय:- जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों की प्रस्तावकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0, लो0नि0वि0, पौड़ी के पत्रांक- 178/1(144) याता0पर्व0/2010 दिनांक 20-08-2010 द्वारा जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री के अन्तर्गत संलग्न विवरणानुसार उल्लिखित कार्य हेतु उपलब्ध कराये आगणनों के निर्माण की प्रस्तावकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रक्रियात्मक कार्य यथा विस्तृत आगणन में उल्लिखित, वगैरह भूमि अधिलेखन, भू-अधिग्रहण, दृष्टिलिटी शिफ्टिंग, मृदा परीक्षण, भू-वैज्ञानिक की रिपोर्ट, आगणन आदि कार्यों के लिये टी0ए0सी0 विभाग द्वारा प्रस्तावित पाई गई धनराशि ₹ 242.85 लाख (दो लाख अठ्ठावन हजार आठ सौ पचास हजार मात्र) पर निर्माण की स्वीकृति प्रदान करते हुए संलग्न विवरणानुसार धनराशि में से राशि व्यय ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 10 कार्यों हेतु ₹ 1.00 लाख (₹ एक लाख मात्र) के व्यय किये जाने की, महानहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश सं0:- 1764/111(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट-तैयार-कर-शासन-को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही मोटर मार्ग के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

4- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही हो तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

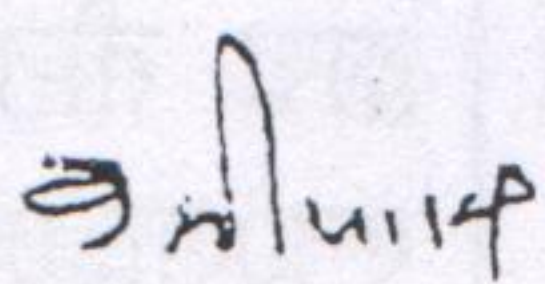
5- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

6- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

7- स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के क्रियान्वयन हेतु उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों तथा बजट मैनुअल के दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।







162/व.स.ल.
28/1-2011

अनुमानित सुनिश्चित किया जाएगा।

9- स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

10- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-11 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-20-लेखापीठक-5054 सन्कों तथा ग्रेनुओं पर पूंजीगत परिवर्धन -04 जिला तथा अन्य सन्कों -05 जिला

11- यदि कोई भी कार्य निर्माण कार्य के नाम पर लागू होता है तो उसे निर्माण कार्य के नाम पर ही लागू किया जाएगा।
प्रति 08 दिनांक 28/1/2011

सालानक- यथोपरि।

भवदीय,

प्रदीप सिंह रावत

(प्रदीप सिंह रावत)

उप सचिव

संख्या:- (1)/111(2)/10-02(एम0एल0ए0)/2010 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, मांजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी/देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, षष्ठम् वृत्त, लो०नि०वि० टिहरी।
9. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, उत्तरकाशी।
10. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड बुक।

कोषाधिकारी अधीक्षण अभियन्ता
छठा वृत्त लो० नि० वि०

म० 236/2010-6/1/25/1/11

प्रति 08 दिनांक 28/1/2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

कोषाधिकारी अधीक्षण अभियन्ता
छठा वृत्त लो० नि० वि०

म० 236/2010-6/1/25/1/11

कृषि विभाग प्रशासनिक अधिकारी
छठा वृत्त लो. नि. वि.
उत्तरकाशी 249193

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)

उप सचिव

मुख्य अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
देहरादून

प्रकाशन पं० सं० - 1665/2010 (क)/10 दि० 22/1/10

एव आवश्यक उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचना एवं कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य अभि० (ग० सं०) लो० नि० वि० पौड़ी।

अधीक्षण अभि० छठा वृत्त लो० नि० वि० उत्तरकाशी।

अधीक्षण अभि० छठा वृत्त लो० नि० वि० उत्तरकाशी।

अधीक्षण अभि० छठा वृत्त लो० नि० वि० उत्तरकाशी।

अधीक्षण अभि० छठा वृत्त लो० नि० वि० उत्तरकाशी।

शा0सं0-5384/111(2)/10-02(एम0एल0ए0)/2010 दि0 13 दिसम्बर 2010 का

क्र०		(कमा0 में)	वित्त द्वारा अनुमोदित (लाख ₹ में)	2010-11 में व्यय हेतु स्वीकृत धनराशि (लाख ₹ में)
01	02	03	04	05
01	जनपद उत्तरकाशी में देवाधार-धनारी- फाल्ड मोटर मार्ग से सन्तलगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण	2.25	28.35	0.10
02	जनपद उत्तरकाशी में मुसलगांव से कुलध भटवाड़ी पैदल पुल तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	3.00	37.80	0.10
03	जनपद उत्तरकाशी में सेम-मुखेम मोटर मार्ग से सिंगुणी गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	3.00	37.80	0.10
04	जनपद उत्तरकाशी में ज्ञानसू-साल्ड मोटर मार्ग से उपला ज्ञानसू बरतो तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	1.00	12.60	0.10
05	जनपद उत्तरकाशी में जाकुरी- सिंगोट मोटर मार्ग से कूनगांव - पाव मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	1.00	12.60	0.10
06	जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाड़ी में मुस्टिकसौड -कुरोली मो0मा0 से कंकराड़ी होते हुए किशनपुर तक मो0मा0 का निर्माण।	1.50	18.90	0.10
07	जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाड़ी में कोटबंगला से बगियालगांव पाटा तक मो0मा0 निर्माण का प्रथम चरण।	3.00	37.80	0.10
08	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में जसपुर बैण्ड से पुराली गांव तक मो0मा0 कार्य।	3.00	37.80	0.10
09	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में मिनी स्टेडियम रैथल पहुंच मो0मा0 का विस्तार कार्य।	1.00	12.60	0.10
10	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में सैज -जखोल मो0मा0 पर पोखरी से गैरीगाँव तक मो0मा0 का निर्माण कार्य।	1.00	12.60	0.10
	योग:-	19.75	248.85	1.00

(कुल ₹ एक लाख मात्र)

प्रदीप सिंह रावत

(प्रदीप सिंह रावत)

उपसचिव